


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

~~192 अ. 01~~ बनाम ~~नन्दुबाई~~

म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 45/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>लक्ष्मण - शोबु</u></p> <p>पिता श्री <u>अमरचन्द्र जाट</u></p> <p>निवासी- <u>धनेतरपुरे</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>धनेतरपुरे (प०ह०कश्मोर)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>195</u></p> <p><u>196</u> , <u>197</u> , <u>404/197</u></p> <p><u>0.0300</u> , <u>0.3400</u> , <u>0.4200</u></p> <p>कुल कीता <u>04</u> कुल रकबा <u>1.3000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धनेतरपुरे (प०ह०कश्मोर तह० चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>195</u> , <u>196</u> , <u>197</u> , <u>404/197</u></p> <p><u>0.5100</u> , <u>0.0300</u> , <u>0.3400</u> , <u>0.4200</u></p> <p>कुल कीता <u>04</u> रकबा <u>1.3000</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500.00</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बिनु देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>